रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाषः 24365161 फैक्सः 24360644

ई-मेल: reccorp@recl.nic.in वेबसाइटः www.recindia.nic.in

टेंडर सं.आरईसी/आईटी/कंप्यूटर-(मालसूची)/93/609

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरपीएफ)

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), कारपोरेट कार्यालय, कोर-**4**, स्कोप कांप्लेक्स, **7**-लोधी रोड, नई दिल्ली-**100 003** और इसके पालिका भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली स्थित दूसरे कार्यालय परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों के अन्य पक्षकार सत्यापन और मिलान

के लिए

''आरईसी की वेबसाइट के माध्यम से पूर्व-योग्यता के मापदंड को पूरा करने वाले बोलीदाताओं से मंगाए जाने वाले प्रस्ताव''

(i) बोली जारी करने की तारीख : 18.08.2011

(ii) बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : 02.09.2011, समय 11.00 (भारतीय मानक समय)

(iii) बोली खोलने की तारीख : 02.09.2011, समय 11.30 (भारतीय मानक समय)

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

कोर-**4**, स्कोप कांप्लेक्स, **7** लोधी रोड, नई दिल्ली-**110003**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), कारपोरेट कार्यालय, कोर-**4**, स्कोप कांप्लेक्स

7-लोधी रोड, नई दिल्ली-**100 003**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), (विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम) आरईसी कारपोरेट कार्यालय, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-100 003 और इसके पालिका भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली स्थित दूसरे कार्यालय परिसर में सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों के अन्य पक्षकार सत्यापन के लिए निम्नलिखित शर्तों पर मुहरबंद बोलियां आमंत्रित करता है।

1.1 बोलीदाता के मुख्य दायित्वों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगीः

(क) सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा रखी गई सूचना प्रौद्योगिकी आबंटन सूची के अनुसार दोनों कार्यालय परिसरों (स्कोप कांप्लेक्स और पालिका भवन) के विभिन्न प्रयोक्ताओं को आबंटित सभी सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों का वास्तविक सत्यापन और मिलान कार्य करना। इन सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों में पर्सनल कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर, लैपटॉप, सर्वर, नेटवर्क संबंधी उपस्कर आदि शामिल हैं।

(ख) विभिन्न आंतरिक फाइलों से खरीद के तदनुरूपी अनुमोदन और संबंधित कार्य आदेश से सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर का वास्तविक सत्यापन करते हुए मिलान करना। इसमें वे मदें भी शामिल हैं, जो चोरी हो गई हैं, जिन्हें अलग से रख दिया गया है या नीलामी आदि के द्वारा जिनका निपटान किया गया है।

(ग) निगम द्वारा रखे गए स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर से उपर्युक्त (क) और (ख) के अनुसार रिकार्डों का मिलान करना।

(घ) विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत करना, जिनमें वे रिपोर्टें भी शामिल हैं, जो उपर्युक्त के आधार पर कानूनी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं।

(ड.) यदि कोई अंतर हो, तो उसका विश्लेषण करना और इसी प्रकार के क्रियाकलाप के लिए भावी रणनीति की सिफारिश करना।

टिप्पणीः

(i) ऊपर विनिर्दिष्ट ये मुख्य दायित्व केवल संसूचक हैं और किसी भी रूप में वहीं तक सीमित नहीं हैं।

(ii) रिपोर्टों के वास्तविक फार्मेट को सफल बोलीदाताओं के साथ परस्पर चर्चा करने के बाद तय किया जाएगा।

(iii) सफल बोलीदाता द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज और सूचनाएं आरईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन दस्तावेज आदि से मिलान करने के लिए बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं अलग से प्रयास करेगा।

1.2 पात्रता मापदंड/पूर्व योग्यता संबंधी मापदंड

(क) बोलीदाता को सनदी लेखाकार/लेखापरीक्षा फर्म होना चाहिए। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।

(ख) बोलीदाता को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य सहित बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को कम से कम एक वर्ष से इस काम में लगा होना चाहिए।

(ग) बोलीदाता आरईसी के लिए एकल बिंदु संपर्क होगा और वह सभी कार्यों के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा। कृपया इस आशय का वचनपत्र संलग्न करें।

(घ) बोलीदाता ने पिछले चार वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार की लेखापरीक्षा या इसी प्रकार का कार्य सफलतापूर्वक किया हो (दस्तावेजी सबूत के रूप में खरीद/कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें)।

(ड.) बोलीदाता को आय कर पंजीकरण संख्या (पैन) का विधिमान्य दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।

(च) बोलीदाता को चाहिए कि वह उपर्युक्त पात्रता संबंधी मापदंड/पूर्व योग्यता की शर्तें पूरी करे ताकि उसकी बोलियों का मूल्यांकन किया जा सके। उपर्युक्त पात्रता/पूर्व योग्यता की शर्त को पूरा करने वाले बोलीदाताओं की बोली का ही विधिवत गठित मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। उपर्युक्त पात्रता/पूर्व योग्यता की शर्त को पूरा न करने वाले बोलीदाताओं की बोली को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे किसी वचनपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा कि उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज बाद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(छ) आरईसी को यह अधिकार है कि वह पात्रता के मापदंड के उपर्युक्त खंड के समर्थन में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजी साक्ष्यों का सत्यापन/पुष्टि कर सकता है। आरईसी द्वारा अपेक्षित अवधि के अंदर और/या लिखित रूप में सूचित अवधि के दौरान इन दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने से बोली को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और/या संविदा सौंपे जाने पर और/या संविदा की बढ़ाई गई अवधि या अन्यथा पर आरईसी द्वारा बोलीदाता पर संविदा के खंडों के अनुसार दंड लगाते हुए बोली को निरस्त किया जा सकता है बशर्ते कि बोलीदाता एक सफल बोलीदाता हो और उसे इस निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार संविदा सौंपी गई हो।

1.3 पात्रता संबंधी मापदंड के दस्तावेज और वित्तीय बोली अलग-अलग लिफाफों में रखी जानी चाहिए और उन्हें विधिवत मुहरबंद किया जाना चाहिए। मुहरबंद लिफाफे के ऊपर उसमें रखी गई सामग्री, टेंडर संख्या, बोलीदाता का नाम और पता स्पष्ट रूप में लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार तैयार किए गए सभी लिफाफे एक मुहरबंद लिफाफे में रखे जाएंगे और इस मुहरबंद लिफाफे के ऊपर टेंडर संख्या, बोलीदाता का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा।

1.4 सभी प्रकार से पूर्ण बोलियां कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), आरईसी को संबोधित की जाएंगी और वे आरईसी के स्वागत कक्ष में निम्नलिखित पते पर रखे गए टेंडर बॉक्स में दिनांक 02.09.2011 के 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) तक अवश्य डाल दी जानी चाहिए। यदि बोलियों को कहीं अन्यत्र डाला जाता है या बोलियां नियत तारीख और समय के अंदर संबंधित पते पर नहीं पहुंचती हैं तो इसके लिए आरईसी जिम्मेदार नहीं होगाः

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7-लोधी रोड, नई दिल्ली-100 003

1.6 ''भाग I'' को उपस्थित रहने के इच्छुक बोलीदाताओं के सामने उसी दिन (बोली प्रस्तुत करने के अंतिम दिन) अर्थात दिनांक 02.09.2011 के 11.30 बजे (भारतीय मानक समय) सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, आरईसी, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-100 003 में खोला जाएगा।

1.7 आरईसी को अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से किसी भी अनियमितता को माफ कर सकता है, सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, किसी या सभी बोलियों के किसी भाग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

1.8 इस टेंडर के माध्यम से चुने गए बोलीदाता की सेवाएं यथास्थिति आरईसी और उसकी सहायक तथा संबंधित कंपनियों द्वारा ली जा सकती हैं, जो परियोजना पर निर्भर करेगा और चुने हुए विक्रेताओं संबंधित संगठन द्वारा मांगे गए अनुसार इन सभी या किसी संगठन को अपनी सेवा/आपूर्ति देनी होगी।

1.9 **सांकेतिक अनुसूची**

बोलीदाता को नीचे दी गई स्वीकृत समय अनुसूची का सख्ती से पालन करना होगाः

तालिका I : मुख्य क्रियाकलाप

क्रम सं.	लक्षित कार्य	सुपुर्दगीयोग्य
1.	कार्य आदेश देना	टी1
2.	आदेश स्वीकार करना	टी1+7
3.	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों का अन्य पक्षकार सत्यापन और मिलान और उपर्युक्त कार्यक्षेत्र और शर्तों के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट के साथ संपूर्ण कार्यक्षेत्र को पूरा करना	टी1+45 दिन

1.10 **बोली की लागत**

बोलीदाता अपनी बोली तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागत वहन करेगा और आरईसी इन लागतों के लिए किसी भी मामले में जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही यह बोली प्रक्रिया या उसके समाप्त होने का परिणाम हो।

1.11 **टेंडर दस्तावेज**

बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि उसने बोली प्रस्तुत करते समय टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित सभी अनुदेशों, फार्मों, शर्तों और विनिर्देशों आदि को पढ़ लिया है, जांच कर लिया/उसे भली-भांति

देख लिया/संकलित कर लिया/उससे सहमत है और इसके बाद यह समझा जाएगा कि उसने यह सब कार्रवाई कर ली है। सभी अपेक्षित सूचना न देने और/या झूठी/गलत सूचना देने और/या द्वियार्थक/असंगत सूचना देने और/या सभी प्रकार से बोली दस्तावेजों के अनुरूप बोली प्रस्तुत न करना बोलीदाता के जोखिम पर होगा और इस कारण उसकी बोली रद्द की जा सकती है।

1.12 टेलेक्स, केबल, ई-मेल, फैक्स से भेजी गई बोलियां या मुहरबंद नहीं की गई बोलियां आदि तत्काल रद्द कर दी जाएंगी।

1.13 वित्तीय बोली

(क) वित्तीय बोली में निम्नलिखित सामग्री शामिल होगीः

(i) वित्तीय बोली फार्म

(ii) कीमत अनुसूची

(ख) वित्तीय बोली में ऐसे मुख्य उत्तरदायित्व/कार्य क्षेत्र और अन्य टी एंड सी पर विचार करते हुए कीमत अनुसूची फार्मेट में उल्लिखित कार्य के क्षेत्र के लिए इकाई कीमत का उल्लेख करें, जो संविदा के अधीन किए जाने हैं।

(ग) उल्लिखित कीमत सुनिश्चित होनी चाहिए और इसमें सभी लागू कर, शुल्क, लैवी आदि और विक्रेता द्वारा संविदा संबंधी अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में विक्रेता के कार्मिकों के दौरों से संबंधित अन्य खर्च भी शामिल किया जाना चाहिए।

(घ) बोलीदाता को कीमत अनुसूची में प्रत्येक मद की दर का उल्लेख करना होगा। जहां कहीं लागू हो, बोलीदाता पूरी लागत का भी उल्लेख करेगा। मद-वार दर, जो भी लागू हो, का उल्लेख प्रस्ताव में न करने से वह अयोग्य ठहराया जाएगा।

(ङ.) बोलीदाता को यह नोट करना चाहिए कि आरईसी फार्म डी/फार्म सी आदि उपलब्ध नहीं करेगा।

 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर)

(च) बोलीदाता द्वारा उल्लिखित कीमत संविदा के बोलीदाता द्वारा किए जाने वाले निष्पादन के दौरान स्थिर रहेंगी और किसी भी कारण से इनमें घट-बढ़ नहीं की जाएगी। यदि कीमत के संबंध में कोई शर्त लगाते हुए बोली प्रस्तुत की जाती है तो यह समझा जाएगा कि उसने उत्तर नहीं दिया है और उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

(छ) निर्धारित प्रस्ताव फार्म में सभी कीमत और छूट आदि जैसी सूचना, जो कीमत से संबंधित हो, अंकों और शब्दों, दोनों में लिखी जानी चाहिए।

(ज) यदि शब्दों और अंकों में उल्लिखित कीमत/सूचना के बीच कोई विसंगति हो तो उन दोनों में से जो उच्च हो, उसे बोली के मूल्यांकन के लिए उसकी कीमत माना जाएगा। लेकिन खरीद/कार्य आदेश में उनमें से जो कीमत कम होगी, उसे हिसाब में लिया जाएगा।

(झ) इस बोली की विधिमान्य अवधि के दौरान या यदि अवधि बढ़ाई जाती है तो बढ़ाई गई अवधि के दौरान यदि भारत में किसी अन्य विभाग/संगठन को खरीद की निर्धारित कीमत से कम कीमत पर इसी प्रकार की सेवा उपलब्ध हो रही हो तो बोलीदाता को यह लाभ स्वतः ही आरईसी को भी देना होगा। यदि वह अधिक से अधिक 30 दिन के अंदर इस घटी हुई कीमत का लाभ आरईसी को नहीं देता, जोकि बोलीदाता ने सूची में शामिल अन्य विभाग/संगठन को दिया है, तो उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, बोलीदाता को आरईसी द्वारा अनिश्चित अवधि या आरईसी के विवेक पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए काली सूची में रखा जाएगा और बोलीदाता की कार्य-निष्पादन गारंटी या कोई अन्य अदायगी (जो बकाया हो या देय हो रही हो)/गारंटी आरईसी द्वारा जब्त कर ली जाएगी। (इसमें वह रकम भी शामिल है, जो किसी अन्य कार्य के लिए देय/प्रतिसंहरण की जाने वाली हो)।

(ञ) दरें तकनीकी बोली खोले जाने की तारीख से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधिमान्य रहेंगी बशर्ते कि बोलियों को बोली खोले जाने की तारीख से 83 दिन के बाद तब तक विधिमान्य समझा जाएगा जब तक बोलीदाता को अपनी बोली वापस लेने के लिए रजिस्टरीशुदा डाक से लिखित रूप में कम से कम सात कार्यदिवसों का अग्रिम नोटिस (आरईसी/भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी कैलेंडर के अनुसार) नहीं दिया जाता है और यदि नोटिस की अवधि के दौरान टेंडर को अंतिम रूप दिया जाता है/बोलीदाता को

 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर)

काम सौंपा जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे इच्छुक पक्षकार के रूप में समझा जाएगा और यदि वह इसमें चूक करता है तो उसकी जमानती रकम(ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी और ऐसे बोलीदाता को आरईसी द्वारा इस टेंडर के लिए और/या आरईसी के सभी टेंडरों के लिए आरईसी द्वारा अपने विवेक से तय की गई अवधि तक के लिए काली सूची में रखा जाएगा।

(ट) ये कीमतें नई दिल्ली में वांछित स्थान/गंतव्य पर काम कराने पर लागू होंगी।

(ठ) बोली से संबंधित सभी लागत और प्रभार केवल भारतीय रुपए में बताए जाएंगे।

(ड) अनुसूची में उल्लिखित कीमत में एफओआर डेस्टिनेश्न यानी कंपनी के कार्यस्थल तक के लिए होगी। इन कीमतों में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, वैट, डब्ल्यूसीटी, सेवा कर और अन्य कर, परिवहन बीमा और भाड़ा आदि शामिल होगा। बोलीदाता द्वारा उल्लिखित कीमतें संविदा की पूरी अवधि के दौरान निश्चित (पक्की - अपरिवर्तनीय) रहेंगी और उनमें किसी भी कारण से घट-बढ़ नहीं की जाएगी। यदि घट-बढ़ वाले प्रावधान के साथ बोली प्रस्तुत की जाती है (बशर्ते कि आरईसी ने ऐसा ही न कहा हो ते) प्रस्तुत बोलियों को गैर-उत्तरदायी बोली माना जाएगा और उसे रद्द कर दिया जाएगा।

(ढ) आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह संविदा सौंपे जाने के समय आदेशित मात्रा की प्रति यूनिट कीमत में कोई परिवर्तन किए बिना अपेक्षाओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट आपूर्ति और सेवा की मात्रा में घट-बढ़ कर सकता है।

1.14 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

आरईसी टेंडर दस्तावेज में संशोधन करके अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को बढ़ा सकता है। ऐसे मामले में अंतिम तारीख के संबंध में आरईसी और बोलीदाता के पिछले सभी अधिकार और दायित्व बढ़ाई गई समय-सीमा के अनुसार होंगे।

1.15 देर से प्राप्त बोली

 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर)

आरईसी द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद आरईसी को प्राप्त बोली रद्द कर दी जाएगी और/या बोलीदाता को बिना खोले ही लौटा दी जाएगी।

1.16 बोली खोलना

आरईसी पात्रता के मापदंडों को पूरा करने वाले दस्तावेजों को ही खोलेगा और यदि बोली में पात्रता/पूर्व योग्यता मापदंड वाला दस्तावेज (वाले दस्तावेज) सही नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिनके पात्रता संबंधी मापदंड वाले दस्तावेज सही पाए जाते हैं।

1.17 बोलियों का स्पष्टीकरण

क. इन बोलियों का मूल्यांकन करने के दौरान आरईसी अपने विवेक से इन बोलियों के स्पष्टीकरण के बारे में मांग कर सकता है और यह स्पष्टीकरण आरईसी द्वारा विनिर्देशों के अनुसार कम से कम एक दिन के अंदर देना होगा और यदि यह स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि बोलीदाता के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है और बोली का तदनुसार मूल्यांकन किया जाएगा और/या उसे रद्द कर दिया जाएगा। स्पष्टीकरण का अनुरोध और उसका उत्तर लिखित रूप में होगा और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की तारीख, उसकी कीमत या बोली की किसी महत्वपूर्ण बात में, जो मांगी गई हो, प्रस्तुत की गई हो या जिसकी अनुमति दी गई हो, कोई परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा।

ख. कोई भी बोलीदाता अपनी बोली से संबंधित किसी मामले में बोली खोले जाने की तारीख से संविदा सौंपे जाने की तारीख तक आरईसी से कोई संपर्क नहीं करेगा। यदि कोई बोलीदाता आरईसी के ध्यान में कोई अतिरिक्त सूचना लाना चाहता हो, तो ऐसा लिखित रूप में किया जाना चाहिए।

ग. बोलीदाता द्वारा बोली के संबंध में आरईसी पर प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करेगा, भले ही यह बोली के मूल्यांकन बोली की तुलना या संविदा सौंपे जाने के निर्णय से संबंधित हो। ऐसा किए जाने से बोलीदाता की बोली रद्द कर दी जाएगी और आरईसी उस फर्म को अनिश्चितकाल के लिए या आरईसी के भावी आरएफपी/टेंडरों में भाग लेने से उल्लिखित तारीख तक के लिए अपात्र घोषित कर देगा।

घ. आरईसी किसी बोली को स्वीकार किए जाने से पहले टेंडर के कार्यक्षेत्र और/या विनिर्देशों में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। लेकिन इस प्रकार का संशोधन या परिवर्तन वित्तीय बोली खोले जाने से पहले ही किया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में सभी पात्र/पूर्व-योग्यताप्राप्त बोलीदाता(बोलीदाताओं) को एक अवसर दिया जा सकता है कि वे अपनी वित्तीय बोली में अपने विवेक पर यदि आवश्यक समझें, तदनुसार परिवर्तन और संशोधन करने पर विचार कर सकते हैं। यदि प्रस्तावित विनिर्देश इस टेंडर में उल्लिखित विनिर्देशों से भिन्न हों तो बोलीदाता को चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि वह उसके द्वारा प्रस्तावित मदों में उल्लिखित विनिर्देशों से किस सीमा तक भिन्न हैं, भले ही इस प्रकार का अंतर बहुत अधिक महत्वपूर्ण न हो।

ड. आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह निर्धारित समय-सीमा में मूल कार्यक्षेत्र और/या विनिर्देशों सहित वित्तीय बोलियां खोले जाने से पहले किसी भी समय पात्र/पूर्व-योग्यता प्राप्त बोलियों में वित्तीय बोली को संशोधित करने के लिए कह सकता है। बोलीदाता ऐसी स्थिति में संशोधित बोली प्रस्तुत कर सकता है या अपने द्वारा पहले ही प्रस्तुत मूल वित्तीय बोली को ही बनाए रख सकता है। यदि बोलीदाता संशोधित वित्तीय बोली प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि वह अपनी मूल वित्तीय बोली का ही विकल्प स्वीकार कर रहा है, लेकिन यह नोट किया जा सकता है कि ऐसे मामले विशेष में आरईसी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत मूल वित्तीय बोली से उच्च नहीं होगी। यह बात जोड़/उप-जोड़ और/या अलग-अलग मदों की कीमत के मामले में लागू होगी। यदि संशोधित वित्तीय बोली मूल वित्तीय बोली से अधिक हो, तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और उन पर आगे वित्तीय मूल्यांकन करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

1.18 वित्तीय बोली खोलना

(क) आरईसी केवल उन बोलीदाताओं की बोलियां खोलेगा, जिन्हें कार्य (जिसमें टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित औचक दौरे/बेंचमार्क की जांच करने/प्रस्तुतीकरण आदि,यदि कोई टेंडर दस्तावेज में ि्ूगया हो, भी शामिल हैं)करने के लिए पात्र पाया गया हे ।

(ख) योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर बोलीदाताओं

के ऐसे प्रतिनिधियों के सामने खोली जाएंगी जो इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहें ।

(ग) वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख और समय की सूचना केवल योग्य बोलीदाताओं को दी जाएगी ।

1.19 बोलियों का मूल्यांकन एवं तुलना

क. सेवा और माल की सर्व समावेशी कीमत की तुलना की जाएगी। ऐसी कीमत में अदा की गई और की जाने वाली सभी लागत तथा शुल्क और कर शामिल होंगे।

ख. गणितीय भूल का निम्नलिखित आधार पर संशोधन किया जाएगाः यदि इकाई की कीमत और उस कुल कीमत में अंतर हो, जो इकाई की कीमत और मात्रा को गुणा करके निकाली गई हो, तो इकाई कीमत मान्य होगी और कुल कीमत में संशोधन किया जाएगा। यदि आपूर्तिकर्ता इन भूलों में संशोधन को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी। यदि शब्दों और अंकों में कोई विसंगति हो तो उन दोनों में से जो उच्च होगी, वही न्यूनतम बोली का हिसाब लगाने के लिए बोली कीमत के रूप में स्वीकार की जाएगी। यदि बोलीदाता इन दोनों के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता हो तो उसे खरीद/कार्य आदेश जारी करते समय इन मदों के लिए अंतिम कीमत समझा जाएगा।

ग. बोलीदाता केवल **"कीमत अनुसूची" में दिए गए फार्मेट के अनुसार** टेंडर में उल्लिखित अदायगी अनुसूची के संबंध में अपनी बोली कीमत का उल्लेख करेंगे।

घ. **विनिर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार "कुल जोड़" के लिए उल्लिखित न्यूनतम कीमत** के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। **आरईसी इकाई मूल्य और विनिर्दिष्ट फार्मूला, यदि कोई हो, के आधार पर 'कुल जोड़' का पुनः हिसाब लगाएगा और तदनुसार न्यूनतम बोली का निर्धारण करेगा।**

ङ. आदेश न्यूनतम बोलीदाता को दिया जाएगा।

च. उपर्युक्तअनुसार आरईसी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

छ. विक्रेता किसी भी रूप में किसी अन्य एजेंसी को यह काम नहीं सौंपेगा और/या उसे और आगे देने के लिए कोई सूची नहीं बनाएगा या उसके किसी भाग को किसी अन्य को नहीं सौंपेगा। ऐसा न करने पर इस प्रकार कार्य आगे सौंपने पर उसे सूची से हटा दिया जाएगा और उसकी प्रतिभूति जमा/कार्य-निष्पादन गारंटी (यदि कोई हो) आदि को जब्त कर लिया जाएगा।

ज. यदि किसी उत्पाद का नाम बदल जाता है तो उसके नए नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए और मूल उत्पाद के संबंध में करार किए गए सभी तकनीकी/वित्तीय लाभी आरईसी को मिलेंगे और उत्पाद के संबंध में विक्रेता द्वारा उप उत्पाद के पुराने नाम से निभाए जाने थे वे दायित्व इस प्रकार परिवर्तित नाम के संबंध में भी निभाए जाएंगे।

झ. आरईसी और/या उसकी सहायक कंपनियों और/या सहयोगी प्रतिष्ठनों आदि को यह अधिकार होगा कि वे आदेश देने/खरीद करने आदि के संबंध में इस टेंडर का उपयोग अपने विवेक से कर सकते हैं।

1.20 अदायगी की शर्तें

क. कोई भी अग्रिम अदायगी नहीं की जाएगी।

ख. किसी भी अदायगी में से वह रकम घटाई जाएगी जो विक्रेता द्वारा इस संविदा के अनुसार स्वीकृत किए गए दायित्वों के अनुसार हो। इसके अलावा, वर्तमान आयकर अधिनियम के अनुसार सभी अदायगियां स्रोत पर कर की कटौती करके की जाएंगी और बीजक प्रस्तुत करने और/या अदायगी की तारीख को जो भी कोई अन्य कर अधिक हो, उसकी कटौती की जाएगी।

ग. सभी अदायगियां केवल भारतीय रुपए में की जाएंगी।

घ. 100औ अदायगी खरीद/कार्य आदेश में उल्लिखित कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने और उसे प्रयोक्ता/या आरईसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करने के बाद की जाएगी।

1.21 विलंब/परिसमाप्त क्षति के लिए दंड

संविदा में समय महत्वपूर्ण होता है। सफल बोलीदाता को चाहिए कि वह कार्य आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अनुसार कार्य करे। निर्धारित तारीख को या उससे पहले सभी या कुछ कार्य पूरा न कर पाने की स्थिति में संविदा की पैकेज कीमत के मूल्य के 1.5औ के बराबर प्रति सप्ताह दंड लगाया जाएगा, जो संविदा के कुल मूल्य या उसके भाग का अधिकतम 15औ होगा। परिसमाप्त क्षति की अदायगी से सफल बोलीदाताओं की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1.22 संविदा समाप्त करना

क. आरईसी उस स्थिति में संविदा को किसी भी समय समाप्त कर सकता है, यदि बोलीदाता संविदा के अनुसार सेवा प्रदान करने में असमर्थ रहता है। ऐसे मामलों में यदि उसके द्वारा निष्पादित कार्य के कारण बोलीदाता को किसी रकम की अदायगी की जानी हो, यदि वह देय हो, तो उसकी अदायगी उसे इस संविदा के प्रावधानों के अनुसार देय वसूलियों को करने के बाद ही की जाएगी और कार्य को बोलीदाता की लागत और जोखिम पर पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही इस राशि की अदायगी की जाएगी। चुने गए बोलीदाताओं को उसकी सेवाएं समाप्त करने के संबंध में कम से कम तीन माह का पूर्व नोटिस दिया जाएगा।

ख. आरईसी चुने हुए विक्रेताओं को लिखित नोटिस देकर किसी भी समय संविदा समाप्त कर सकता है। इस संबंध में उसे उस स्थिति में चुने गए विक्रेता को कोई मुआवजा नहीं देना होगा, यदि चुने गए विक्रेता अन्यथा दिवालिया हो गए हों। परंतु इस प्रकार संविदा समाप्त करने से उस कार्रवाई या उपचारात्मक कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो उसके बाद आरईसी द्वारा की जानी हो या जिसे करने का आरईसी को अधिकार मिल गया हो।

ग. आरईसी चुने हुए विक्रेताओं को लिखित नोटिस भेजकर खरीद/कार्य आदेश और/या संविदा को अपनी सुविधा अनुसार कभी भी पूर्णतः या अंशतः समाप्त कर सकता है। संविदा समाप्त करने के नोटिस में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि इस प्रकार की समाप्ति आरईसी की सुविधा के लिए की जा रही है और खरीद/कार्य आदेश और/या संविदा के अधीन कार्य के निष्पादन को किस सीमा तक समाप्त किया जा रहा है और उस तारीख का भी उल्लेख

किया जाएगा जिस तारीख से यह समाप्ति प्रभावी होगी। आरईसी को यह भी अधिकार होगा कि वह-

i. खरीद/कार्य आदेश और/या संविदा की शर्तों और कीमतों के अनुसार कार्य के किसी भाग को पूरा करने का विकल्प चुन सकता है और/या

ii. शेष कार्य को रद्द कर सकता है और चुने हुए विक्रेता को आंशिक रूप से पूरी की गई सेवाओं के लिए स्वीकृत रकम की अदायगी कर सकता है।

घ. यदि विक्रेता की कंपनी या कंपनी के संबंधित प्रभाग को किसी अन्य कंपनी द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया हो/खरीद लिया गया हो तो आरईसी के साथ हुए करार के अनुसार ऐसे सभी दायित्व उस नई कंपनी/नए प्रभाग को पूरा करने के लिए अंतरित किए जाएंगे, जो उनके अंतरण के संबंध में किए गए समझौते के अनुसार होगी।

ड. आरईसी अपने विवेक पर आपूर्ति, कार्य को शुरू करने और/या उपस्कर/उत्पादों के अनुरक्षण में अनुचित विलंब के लिए उस सूचीकरण को समाप्त कर सकता है।

1.23 अपरिहार्य घटना

यदि संविदा के जारी रहने के दौरान किसी भी समय इस संविदा के अधीन किसी भी पक्षकार के किसी भी दायित्व के निष्पादन में युद्ध, आक्रोश, जन विद्रोह के कार्यों, गृह युद्ध, तोड़-फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, संगरोध संबंधी महामारी, हड़ताल, तालाबंदी या दैवी घटना (जिसे इसमें इसके बाद 'घटना कहा जाएगा') के कारण पूर्णतः या अंशतः कोई रुकावट आती है या विलंब होता है तो इस प्रकार की घटना के घटित होने की सूचना समुचित प्राधिकारियों/पक्षकार के देश के वाणिज्यिक चैंबर द्वारा विधिवत पृष्ठांकित किए जाने के बाद जो राहत या रियायत चाहने वाले पक्षकार को दी जाती है तो उसकी सूचना यथासंभव लेकिन ऐसी घटना के घटित होने के 21 दिन के अंदर और उसके समाप्त होने पर दूसरे पक्षकार को दी जानी चाहिए और दूसरे पक्षकार द्वारा अपनाए गए उपायों से अन्य पक्षकार का समुचित समाधान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्य का निष्पादन न किए जाने या कार्य निष्पादन में विलंब होने के कारण किसी पक्षकार द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाएगा और इस संविदा के अधीन की जाने वाली सुपुर्दगियां ऐसी घटना के समाप्त होने या बंद होने के बाद यथाशीघ्र व्यवहार्य होने पर शुरू कर दी जाएंगी और क्रेता का यह निर्णय कि उन सुपुर्दगियों को शुरू

करवाया जाए या नहीं, अंतिम होगा और निष्कर्षपूर्ण होगा। परंतु यह भी कि यदि इस संविदा के अधीन किसी दायित्व का पूर्णतः या अंशतः निष्पादन होने में ऐसी घटनाओं के कारण 60 दिन से अधिक रुकावट आती है या विलंब होता है तो क्रेता को यह विकल्प होगा कि वह इस संविदा को समाप्त कर सकता है।

1.24 विविध

(क) यह प्रत्येक बोलीदाता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह उन सभी स्थानीय स्थितियों और कारकों से पूर्णतः अवगत हो जाए, जो इस कार्य के निष्पादन या उसकी लागत को प्रभावित करेंगे।

(ख) हालांकि अलग-अलग प्रस्ताव को वाणिज्यिक विश्वास समझा जाएगा, तथापि इन प्रस्तावों का मूल्यांकन एक ऐसे समूह द्वारा किया जाएगा, जिसके कुछ सदस्य हो सकते हैं, जो कि आरईसी के अधिकारी न हों। इस टेंडर का उत्तर दिए जाने से संभावित आपूर्तिकर्ता इस बात के लिए सहमत होंगे कि उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों की इस समूह द्वारा जांच की जाएगी।

(ग) आरईसी एक सरकारी संगठन है और इसके उद्देश्य, ढांचा और कार्य करने का तरीका वाणिज्यिक उद्यमों से भिन्न हो सकता है। संभावित विक्रेताओं को चाहिए कि वे आरईसी की हैसियत और उसके वातावरण से भली भांति परिचित हों और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस परियोजना से संबंधित किसी सॉफ्टवेयर, उपस्कर, उत्पाद और अर्जित सामग्री के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार का उचित रूप से पालन किया जाता है।

(घ) बोलीदाताओं के संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने अति आधुनिक संघटकों और तकनीकों का संविदा के कार्य-निष्पादन में उपयोग किया है।

(ड.) आरईसी को अधिकार है कि वह संविदा कार्य को एक साथ/अलग-अलग अवस्था या चरणों में आबंटित कर सकता है।

(च) यदि टेंडर में कोई परिवर्तन किया जाता है तो विक्रेता द्वारा उसको समुचित रूप से साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए। ऐसा न किए जाने पर टेंडर रद्द किया जा सकता है।

(छ) विक्रेता द्वारा तैयार की गई बोली और बोली से संबंधित पत्राचार और दस्तावेज, जिनका विक्रेता और आरईसी के बीच आदान-प्रदान किया जाएगा, अंग्रेजी में लिखे हुए होंगे। लेकिन विक्रेता द्वारा प्रस्तुत कोई मुद्रित साहित्य किसी अन्य भाषा में भी हो सकता है, परंतु जहां तक संभव हो, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में लगा दिया जाए। ऐसे मामले में बोली के निर्वचन के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।

(ज) विक्रेता सेवा के निष्पादन के लिए किए जाने वाले सभी करों, शुल्कों, चुंगी, लाइसेंस फीस आदि के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि कार्य सौंपे जाने की अधिसूचना के बाद किसी भी कारण से किसी कर/शुल्क आदि की कटौती की जाती है तो उसका लाभ आरईसी को दिया जाएगा।

(झ) चुना गया विक्रेता पूरे परिश्रम और दक्षता से सामान्यतः स्वीकृत तकनीकों के अनुसार और इस उद्योग में प्रयुक्त परिपाटियों के अनुसार और व्यावसायिक इंजीनियरी और प्रशिक्षण/परामर्श के मानकों, जिन्हें व्यावसायिक निकायों द्वारा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, के अनुसार संविदा के अधीन सेवाओं का निष्पादन और अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और अच्छे प्रबंधन, तकनीकी और इंजीनियरी परिपाटियों को बनाए रखेगा। वह उच्च प्रौद्योगिकी और सुरक्षित तथा प्रभावी उपस्करों, मशीनों, सामग्री और पद्धति के अनुसार कार्य करेगा। विक्रेता इस संविदा से संबंधित किसी भी मामले में आरईसी के वफादार सलाहकार के रूप में हमेशा कार्य करेगा और हमेशा आरईसी के वैध हितों को अन्य पक्षकारों के साथ संव्यवहार करते समय समर्थन और सुरक्षित रखेगा।

(ञ) आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह कार्य शुरू करने से पहले या कार्य के दौरान विक्रेता के कार्य-निष्पादन का निरीक्षण कर सकता है। इस निरीक्षण में खरीद/कार्य आदेश में विशेषतः पद्धति, जनशक्ति, बुनियादी आवश्यकताओं आदि के मामले में सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकता है। आरईसी को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी समय विक्रेता को सौंपे गए खरीद/कार्य आदेश को रद्द कर सकता है, जिसमें सौंपे गए कार्य को पूरा होने के बाद का समय भी शामिल है और इसके लिए उसे कोई कारण नहीं बताना होगा। यदि खरीद/कार्य आदेश को रद्द कर दिया जाता है तो इस पर खर्च की गई लागत विक्रेता के जोखिम पर होगी और उसका वहन विक्रेता द्वारा किया जाएगा और किसी भी स्थिति में विक्रेता उसकी अदायगी या मुआवजे के लिए आरईसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर)

(ट) चुना गया विक्रेता आरईसी की पूर्व-लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके प्रावधानों को या किसी विशिष्टि, योजना, सॉफ्टवेयर के कोड, इसके संबंध में आरईसी द्वारा या उसकी ओर से दी गई किसी सूचना का नमूना किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को नहीं देगा, जिसे इस संविदा के कार्य-निष्पादन के लिए विक्रेता द्वारा नियोजित नहीं किया गया है। ऐसे नियोजित किसी व्यक्ति को यह सूचना गोपनीय तौर पर बताई जाएगी और उसी सीमा तक बताई जाएगी जिस सीमा तक ऐसे कार्य-निष्पादन के प्रयोजन के लिए वह आवश्यक हो।

(ठ) यदि चुना हुआ विक्रेता संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है, जिसमें कार्य को पूरा न किया जाना भी शामिल है, तो आरईसी को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य विक्रेता के माध्यम से वह कार्य करवा सकता है। इसके अलावा, इसके कारण खर्च की जाने वाली लागत, होने वाली क्षति आदि को चुने गए विक्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

(ड) बोलीदाताओं की छपी हुई शर्तों को बोली का भाग नहीं समझा जाएगा। यदि बोली आमंत्रण पर लागू संविदा की शर्तें किसी बोलीदाता को स्वीकार्य न हों, तो उसे अपनी बोली में उस अंतर का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

(ढ) चुना हुआ बोलीदाता अंततः आरईसी से इस बात के लिए सहमत होगा कि वह आरईसी द्वारा दिए गए खरीद/कार्य आदेश के निष्पादन में उचित व्यापार परिपाटियों के सभी पहलुओं का सम्मान करेगा।

(ण) यदि किसी उत्पाद का नाम बदल जाता है तो उसके नए नाम का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाए और सभी तकनीकी/वित्तीय लाभ मूल उत्पाद के अनुसार हों, जो आगे जारी रहें। आरईसी को मिलेंगे और उस उत्पाद के संबंध में विक्रेता द्वारा उस उत्पाद के पुराने नाम से निभाए जाने थे वे दायित्व इस प्रकार परिवर्तित नाम के संबंध में भी निभाए जाएंगे ।

(त) आरईसी और/या उसकी सहायक कंपनियों और/या सहयोगी प्रतिष्ठानों आदि को यह अधिकार होगा कि वे आदेश देने/खरीद करने आदि के संबंध में इस टेंडर का उपयोग अपने विवेक से कर सकते हैं ।

(बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली फर्म के पत्र शीर्ष पर दिया जाए)

वित्तीय बोली प्रपत्र

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक,
सूचना प्रौद्योगिकी,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी),
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,
7-लोधी रोड, नई दिल्ली-100 003

संदर्भ सं. बोली दस्तावेज सं. दिनांकः

महोदय,

बोली दस्तावेजों की जांच करने और उसके लिए बोली प्रस्तुत करने पर मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी अपेक्षाओं की अनुसूची के अनुसार और उक्त बोली दस्तावेजों के अनुरूप सेवा प्रदान करने के लिए वित्तीय बोली प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे हैं।

मैं/हम वाणिज्यिक बोली में उल्लिखित कीमत और दरों पर सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव देता हूं/देते हैं।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यदि मेरी/हमारी बोली स्वीकार की जाती है तो मैं/हम बोली दस्तावेजों में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार सेवाएं प्रदान करूंगा/करेंगे और यह भी कि हम सभी प्रासंगिक सेवाएं भी प्रदान करेंगे।

उल्लिखित कीमत में लॉजिस्टिक कर, शुल्क, लेवी आदि सहित सभी प्रभार शामिल हैं, जिनके अनुसार आरईसी और/या उसके ग्राहकों/भारत में उसके प्रयोक्ताओं को सेवा प्रदान की जाएंगी।

मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित पूरी वित्तीय बोली इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. बोली पत्र
ख. कीमत अनुसूची

मैं/हम बोली दस्तावेज खोले जाने के लिए नियत तारीख से 90 दिन की अवधि तक के लिए अपने प्रस्ताव का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं और यह भी कि मैं/हम उस समय और बढ़ाए गए और/या बढ़ाई समझी गई

 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर)

अवधि में इस सूचना को स्वीकार करने के लिए बाध्य रहूंगा/रहेंगे। परंतुक यह कि मैंने/हमने 83 दिन की समाप्ति के बाद अपनी बोली को लिखित रूप में वापस न लिया हो।

मैंने/हमने बोली दस्तावेजों की शर्तों को सावधानी से पढ़ लिया है और भली भांति समझ लिया है और मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि इन शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करूंगा/करेंगे। मेरे/हमारी ओर से कोई वित्तीय परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कः

बोलीदाता पूर्ण स्वामित्व वाली फर्म है और बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वामी/पूर्ण स्वामी का विधिसम्मत मुख्तार है

या

यह एक भागीदारी फर्म है और बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति इस फर्म का भागीदार है और उसे भागीदारी करार के द्वारा/सामान्य मुख्तारनामे के अनुसार भागीदारी के कारोबार से संबंधित विवाद माध्यस्थम को भेजने का प्राधिकार है

या

बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी या व्यक्ति कानून सम्मत मुख्तार है।

(**टिप्पणीः** जो लागू न हो, उसे काट दें। सभी शुद्धियों/विलोपनों को बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत अवश्य साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि औपचारिक कार्य आदेश तैयार/निष्पादित किए जाने तक इस बोली और इसके संबंध में आपकी स्वीकृति और/या आशयपत्र दिए जाने और/या कार्य आदेश सौंपे जाने तक हम पर यह संविदा आबद्धकर रहेगी।

तारीख.................. **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

संलग्नकों का विवरण **नाम**

पूरा पताः

दूरभाष संख्या

टेलीग्राफिक पताः

 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर)

फैक्स सं.

ई-मेलः

कंपनी की मुहर

"कीमत अनुसूची"

(बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली फर्म के पत्र शीर्ष पर दिया जाए)

क्रम सं.	मद का विवरण	इकाई	मात्रा (सं. में) (क)	सर्व समावेशी इकाई दर (भारतीय रु. में) (ख)	भारतीय रुपए में जोड़ (ग) = कXJÉ
1.	कार्य के क्षेत्र और बोली दस्तावेजों में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों का अन्य पक्षकार सत्यापन और मिलान	प्रत्येक	01	शब्दों में अंकों में	शब्दों में अंकों में
	कुल जोड़				शब्दों में अंकों में

टिप्पणी:

1. सभी मदों का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. सभी कीमतें केवल भारतीय रुपए में होनी चाहिए।
3. कीमतों में सभी कर, शुल्क, लेवी आदि शामिल की जानी चाहिए।
4. कीमतों में सभी सेवाएं और लॉजिस्टिक शामिल होनी चाहिए।
5. उल्लिखित कीमतें बोली दस्तावेज में उल्लिखित बोलीदाता के कार्यक्षेत्र/दायित्व और अन्य शर्तों पर विचार करते हुए दी जानी चाहिए।
6. न्यूनतम बोलीदाता का निर्णय कुल जोड़ अर्थात उपर्युक्तकीमत **अनुसूची के कॉलम (ग) के आधार** पर लिया जाना चाहिए।

 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और कंपनी की मुहर)

7. यदि कोई शब्द काटा गया हो, मिटाया आदि गया हो, तो उसे बोलीदाता के हस्ताक्षरों पर विधिवत साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए और उस पर कंपनी की मुहर लगाई जानी चाहिए अन्यथा बोली को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

8. कीमत का उल्लेख अंकों और शब्दों, दोनों में किया जाना चाहिए।

9. उपस्कर, सॉफ्टवेयर, सहायक पुर्जे, चालू करने, कागजों, फोटो प्रति, टाइप/डेटा प्रविष्टि, पूर्व अपेक्षित सॉफ्टवेयर, मैनुअल आदि यात्रा, रहने और खाने आदि जैसे सभी अन्य लॉजिस्टिक्स की लागत को बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि बोलीदाता ने क्रम सं.1 में इन्हें शामिल किया है। आरईसी केवल बैठने के लिए स्थान, बिजली का कनेक्शन, टेलीफोन, यदि अपेक्षित हो, जिसमें स्थानीय टेलीफोन करने की सुविधा हो, उपलब्ध कराएगा।